B - IV
L - 19
Economy

GST के संभावित लाभ

1. Cascading effect समाप्त हो जाता है अर्थात पीछे की अवस्थाओं पर लगे कर आगे की अवस्थाओं पर नहीं जाते हैं।

2. Manufacturing आदि को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, Make in India जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलता है।

3. वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। (क्योंकि Cascading effect समाप्त हो जाता है।)

4. कर की चोरी रोकने में मदद मिलती है (क्योंकि बिलों की cross-checking हो पाती है)

5. निर्यातों को बढ़ावा मिलता है क्योंकि निर्यातों पर कोई GST नहीं लगाया जाता है जबकि निर्यातकों को ITC का लाभ मिलता है।
आदि।

भारत में GST की मुख्य विशेषताएँ

भारत के GST की निम्नलिखित तीन मुख्य विशेषताएँ हैं:-

(i) Dualistic :-

भारत में GST के दो मुख्य भाग होते हैं:-

(i) CGST ⇒ Central Goods Service Tax
(केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर)

(ii) SGST ⇒ State/UT GST
(राज्य / केन्द्र शासित वस्तु एवं सेवा कर)

भारत में GST की किसी भी दर को उपर्युक्त संरचना के अनुसार बराबर दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है।

केन्द्रीय और राज्य / केन्द्र शासित अपने-अपने खातों से उत्पादकों, व्यापारियों आदि को ITC देते हैं।

कुछ उत्पादकों को छोड़कर शेष सभी Supplies पर CGST और SGST / UT GST आरोपित किए जाते हैं।

(ii) Destination-based (दूरी के आधार पर) :-

अंतर्राज्यीय - व्यापार में उपभोक्ताओं द्वारा दिया गया SGST का संग्रहण Destination State करता है और उसमें Origin State को कोई हिस्सा नहीं मिलता है।

(iii) उपभोग आधारित (Consumption based) :-

GST से निवल संग्रहण (Net collection) निर्णायक रूप से उपभोग पर निर्भर करता है।

भारत में GST की मुख्य दरें :-

भारत में GST की निम्नलिखित चार मुख्य दरे हैं :-

(i) 5 % } Basic Goods

(ii) 12 % } Standard Rates

(iii) 18 % } Standard Rates

(iv) 28 % } sin goods, Demerit Goods, Luxury goods

उपर्युक्त के अलावा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना में सम्मिलित होने वाली लगभग 50 % वस्तुओं को 0 % GST की श्रेणी में रखा गया है।

कुछ अन्य मुख्य बातें :-

- एक संवैधानिक प्रावधान के द्वारा शराब को GST से बाहर रखा गया है अर्थात शराब GST से मुक्त कर (exempt) रखा गया है / वस्तु है।

- यह कहा गया कि निम्नलिखित पेट्रोलियम वस्तुओं को GST के दायरे में लाने के निर्णय भविष्य में GST Council द्वारा किया जाएगा।

  (i) पेट्रोलियम क्रूड (Petroleum crude)

  (ii) मोटर स्प्रिट (Motor split)

  (iii) हाई स्पीड डीजल (High speed diesel)

  (iv) ATF (Aviation Turbine fuel)

  (v) प्राकृतिक गैस (Natural Gas)

  इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुएँ भी GST exempt हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च मुद्रास्फीति के मद्दे नजर केन्द्र राज्यों से लगातार यह आग्रह करता रहा है कि इन वस्तुओं को GST के दायरे में लाया जाए।

- GST परिषद द्वारा कोई भी बदलाव कुल मताधिकारों के कम से कम 3/4 बहुमत से किए जाते हैं। इस सन्दर्भ में मताधिकारों का वितरण निम्न प्रकार किया जाता है -

(i) केन्द्र - कुल का 1/3

(ii) राज्य - कुल का 2/3

मताधिकारों का उपर्युक्त वितरण केन्द्र को (Veto Power) निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है।

- GST के Electronic संचालन के लिए GST Network (GST N) की स्थापना एक NPC (Non-profit Company) के रूप में की गयी है।